उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या : 6/सीपी 337/84-2-2013-सीपी 12/2011
लखनऊ: दिनांक : 5 सितम्बर, 2013

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

अधिसूचना संख्या-सीपी 497/84-2-2011-सीपी 12/2011, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 द्वारा अन्य के साथ श्रीमती वन्दना मिश्रा पत्नी श्री जे. एन. मिश्रा, जिला अस्पताल के सामने, माखनभोग के बगल, बहराइच को जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर में महिला सदस्य पद पर नियुक्त किया गया। उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित न होने के कारण निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., लखनऊ के पत्र संख्या-193/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 139/11, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा श्रीमती वन्दना मिश्रा को कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित की गयी। श्रीमती मिश्रा से उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर न आने पर पुन: आयोग के पत्र संख्या-1677/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 139/11, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा श्रीमती मिश्रा को कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित की गयी। तदोपरान्त निबन्धक द्वारा शासन को पत्र संख्या-2762/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 69/11, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त नोटिस के सम्बन्ध में श्रीमती मिश्रा द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया और अपने पद पर कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया गया है। निबन्धक, राज्य आयोग के पत्र संख्या-1599/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 139/11, दिनांक 24 जुलाई, 2013 द्वारा श्रीमती वन्दना मिश्रा की जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर में महिला सदस्य पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2. निबन्धक, राज्य आयोग के अनुरोध पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा श्रीमती वन्दना मिश्रा की जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर में महिला सदस्य पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

.....2.....

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-6/सीपी 337/84-2-2013-सीपी 12/2011, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।

(3) कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।

(4) निजी सचिव, मा. मंत्रीजी, खाद्य एवं रसद विभाग तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ.प्र.।

(5) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, सुल्तानपुर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(6) श्रीमती वन्दना मिश्रा पत्नी श्री जे. एन. मिश्रा, जिला अस्पताल के सामने, माखनभोग के बगल, बहराइच।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in